Title: Need to retain the B-2 status accorded to Ajmer city in Rajasthan-Laid.

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हृदयस्थली तथा इतिहास, पर्यटन, शिक्षा, धर्म एवं भौगोलिक दृष्टियों से महत्वपूर्ण नगर अजमेर का देश में एक विशिष्ट स्थान है। यह नगर केन्द्र सरकार द्वारा 1991 की जनसंख्या के आधार पर बी-2 श्रेणी में परिगणित किया गया था, जिसके आधार पर यहां कार्यरत केन्द्र एवं राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त हो रहा था, परन्तु लगभग 2-3 माह पूर्व वित्त मंत्रालय ने अपनी एक अधिसूचना के द्वारा 2001 की जनगणना को आधार मानकर अजमेर नगर परिद क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख नहीं होने के कारण उसका बी-2 श्रेणी का दर्जा घटाकर सी श्रेणी में कर दिया गया, जिसके कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी उद्वेलित हैं।

अजमेर में ख्वाजा साहब की सुप्रसिद्ध दरगाह तथा पास में ही पुकर जैसी महत्वपूर्ण तीर्थस्थली होने के कारण नित्यप्रति हजारों व्यक्ति अजमेर आते जाते हैं और उनका यहां ठहराव रहता है। राज्य एवं केन्द्र सरकार के कई कार्यालय अजमेर क्षेत्र में स्थित हैं तथा कई आसपास के गांवों में नगर सुधार न्यास अजमेर की जमीन की खरीद फरोख्त के संबंध में पाबन्दियां लगी हुयी हैं। यदि उस सारे क्षेत्र को मिलाया जाये तो यह जनगणना 5 लाख से ऊपर हो जाती है। 2001 की जनगणना के अनुसार अजमेर शहर की जनसंख्या 4,85,575 थी। जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक प्रतिशतता 2.7 के अनुसार 2005 में यह आबादी 5,60,000 तक हो चुकी है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर शहर के केन्द्र एवं राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर की विशे स्थिति मानकर इसे पूर्ववत बी-2 श्रेणी में ही रखा जाये तथा कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता तथा शहरी क्षतिपूरक भत्ते में कटौती अथवा वसूली किसी भी स्थिति में नहीं की जाये।